

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0-13/सं0नि0न0/आउटरीच कैम्प/72/2018-19/ 2131-75 लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर 2018

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विशेष आउटरीच कैम्प हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आउटरीच कैम्प के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया



(डा0 नीना गुप्ता)

महानिदेशक

तददिनांक-

पृ0प0संख्या- प0क0-13/सं0नि0न0/आउटरीच कैम्प/72/2018-19/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 10- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)

महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0-13/सं0नि0न0/आउटरीच कैम्प/72/2018-19/

लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर 2018

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विशेष आउटरीच कैम्प हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आउटरीच कैम्प के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)

महानिदेशक

पू0प0संख्या- प0क0-13/सं0नि0न0/आउटरीच कैम्प/72/2018-19/ 2207-335 तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
 - 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
 - 7- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 - 8- समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
 - 9- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
 - 10- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)

महानिदेशक